

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर 2010—अग्रहायण 2, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 24639-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०१०

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१०

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१० है.

अनुसूची संशोधन.

का

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
२.	आईसेक्ट विश्वविद्यालय	आल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, ग्राम-मेहदुआ, भोपाल- चिकलोद रोड, तहसील- गौहरगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३.	एमिटी विश्वविद्यालय	रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक २१ सन् १८६०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर (म.प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का इस अधिनियम के अधीन गठित नियामक आयोग द्वारा मूल्यांकन किए जाने का उपबंध करती है. उक्त उपबंध के अधीन नियामक आयोग ने गौहरगंज जिला रायसेन में आईसेक्ट विश्वविद्यालय एवं ग्वालियर में एमिटी विश्वविद्यालय के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के अधीन राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को आशय पत्र जारी कर दिये हैं. उक्त अधिनियम की धारा ९ उपबंध करती है कि नियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करके एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १५ नवम्बर, २०१०.

लक्ष्मीकांत शर्मा
भारसाधक सदस्य.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 601]

भोपाल, बुधवार दिनांक 24 नवम्बर 2010—अग्रहायण 3, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. 7023-381-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 28, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 28 of 2010.

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)
DWITIYA SANSHODHAN VIDHEYAK, 2010.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2010.

Amendment of Schedule.

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) after serial number 1 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

Serial No.	Name of Private University	Name of Sponsoring body	Mode of forming Sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“2.	AISECT University	All India Society for Electronics and Computer Technology, Bhopal.	Registered Society under the M.P. Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	AISECT University Village-Mehdua, Bhopal-Chiklod Road, Tehsil Goharganj District (M.P.).	Whole of Madhya Pradesh.
3.	Amity University	Ritnand Balved Education Foundation, New Delhi	Registered Society under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860)	Amity University Maharajpura Dang, Gwalior, (M.P.)	Whole of Madhya Pradesh.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 5 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), provides for evaluating of the proposal of establishment of private university in the State by the Regulatory Commission constituted under the Act. Under the said provision, the Regulatory Commission has recommended to establish the private universities in the name of AISECT University at Goharganj, district Raisen and AMITY University at Gwalior, Under section 6 of the said Act, the State Government has issued a letter of intent to the sponsoring body of the respective University, for the said purpose. Section 9 of the said Act provides that after being satisfied with the report submitted by the Regulatory Commission, a private university shall be established by incorporating the name and description thereof in the Schedule to the said Act.

2. Hence this Bill. |

BHOPAL :
DATED the 15th November, 2010.

LAXMIKANT SHARMA
Member-in-charge.